सारण समाहरणालय, छपरा

(खनन शाखा)

सारण जिलान्तर्गत विभिन्न घाटों/स्थलों पर भंडारित दावारहित जप्त बालू की नीलामी हेतु आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित घाटों/स्थलों पर अवैध रूप से भंडारित दावारहित बालू की आम नीलामी दिनांक 21.10.19 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सारण समाहरणालय, छपरा स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्त्तों के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में उक्त दावारहित जप्त बालू की नीलामी पुनः अगले कार्य दिवस को उपरोक्त निर्धारित स्थान एवं समय पर किया जाएगा।

अवैध जप्त बालू के स्थल एवं मात्रा की विवरणी

क्र०	अनुमंडल का नाम	जप्त बालू का स्थल	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रू० में)
1	सोनपुर	सबलपुर	1,45,000	14,50,000/–
2		कल्लु घाट	1,05,000	10,50,000/–
3		रामजानकी घाट	1,10,000	11,00,000/–
4		एल०सी०टी० घाट	1,40,000	14,00,000/–
5		कुल	5,00,000	50,00,000/–

आम नीलामी निम्न शर्त्तों के अधीन की जाएगीः–

1. डाकवक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ हीं अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन की अभिप्रमाणित प्रति तथा खनन बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।.
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र में स्थाई पता अंकित होना चाहिए, साथ हीं यह भी अंकित होना चाहिए कि उनके विरूद्व संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त आचरण प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
3. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को डाक हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व संध्या 5 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में खान निरीक्षक, सारण, के पदनाम से मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत छपरा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित कागजात (कंडिकानुसार) जमा करना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण राशि का भुगतान(अग्रधन की राशि समायोजित करते हुए) करना होगा। इसके पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
5. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के अंदर भंडारित स्थल से बालू हटा लेना होगा एवं संपूर्ण बालू उठाव होने तक इस अवधि में डाक में प्राप्त बालू के कस्टोडियन सफल(उच्चतम्) डाकवक्ता ही रहेंगे। स्थल से बालू आदि चोरी होने की कोई जबावदेही अधोहस्ताक्षरी की नहीं होगी।
6. सफल डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर संपूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में उनकी अग्रधन की राशि जब्त करके पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
7. पूर्व से भंडारित बालू में किसी अन्य श्रोत से बालू लाकर नहीं मिलाया जाएगा।
8. डाक राशि का 5 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर (2.5 प्रतिशत केन्द्रीय जी०एस०टी० एवं 2.5 प्रतिशत राज्य जी०एस०टी०) के रूप में भुगतान करना होगा, जिसका प्रमाण पत्र खनन कार्यालय में दाखिल करना होगा।
9. नीलामधारी को आयकर अधिनियम के तहत 2 प्रतिशत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान एक मुश्त करना होगा, जिसे आयकर मद में जमा करा दी जाएगी।

10. सफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि बालू खनन क्षेत्रों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला खनिज फाउन्डेशन, सारण, छपरा के नाम से छपरा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट कार्यादेश निर्गत की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। इस राशि का उपयोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला खनिज फाउन्डेशन द्वारा किया जाएगा।
11. सफल डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एक मुश्त कार्यादेश निर्गत की तिथि के पूर्व जमा करना होगा।
12. नीलामधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रीपेड ई०–चालान निर्गत करना होगा जिसमें बालू की मात्रा एवं राशि भी अंकित रहेगी।
13. उत्तोलित बालू के लिए विहित प्रपत्र में साप्ताहिक विवरणी जिला खनन कार्यालय, सारण छपरा में दाखिल करना होगा एवं बालू प्रेषण के लिए नियमानुसार पंजी संधारित करनी होगी।
14. प्रेषण के स्थल पर साइनबोर्ड लगाना होगा जिसमें नीलामधारी का नाम पता, नीलामी अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम, पता एवं विक्रय मूल्य अंकित होगा।
15. नीलामधारी को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियमों एवं शर्तों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा।
16. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल, आदि की व्यवस्था करनी होगी।
17. नीलामधारी को समाहर्ता द्वारा बालू प्रेषण के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निदेशों का पालन करना होगा।
18. उपर्युक्त शर्तों एवं अन्य सरकारी नियमों का पालन नहीं करने पर डाक रद्द करने का संपूर्ण अधिकार समाहर्ता को सुरक्षित रहेगा।
19. मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
20. डाकवक्ता उपर्युक्त विभिन्न घाटों/स्थलों पर भंडारित बालू का आकलन स्वयं स्थल भ्रमण द्वारा कर लेंगे।
21. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा CLARIFICATION के लिए खान निरीक्षक–सह–सक्षम पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण (मो0 नं0 9835645696) से संपर्क किया जा सकता है।
22. अपरिहार्य कारण से किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार समाहर्त्ता को सुरक्षित रहेगा।

01/10/19

समाहर्त्ता
सारण, छपरा।

D:\Sand Auction\Nilami Prakriya.doc